



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / यो0ब0-08 / 2021- 767 दिनांक : २३/११/२०२१

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/ बोकारो वन प्रमण्डल/ धनबाद वन प्रमण्डल/ रामगढ़ वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/ मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ लातेहार वन प्रमण्डल/ देवघर वन प्रमण्डल/ गोड़डा वन प्रमण्डल/ वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्सास तथा वन भूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य हेतु कुल रु0 1619.534 लाख (सोलह करोड़ उन्नीस लाख तिरपन हजार चार सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0-32 / 2020-10 / स्वी0 व0प0 दिनांक 23.09.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0ब0-32 / 2020-29 / आ0 व0प0 दिनांक 24.09.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 1619.534 लाख (सोलह करोड़ उन्नीस लाख तिरपन हजार चार सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060178958010103	1081.459
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060178958010323	538.075
कुल :-		1619.534

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) एवं (ख) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) एवं (ख), स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 (क) एवं (ख) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

m

3. इस योजना का कोड संख्या—19S24060178958010103 एवं 19S24060178958010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक—2561, दिनांक—17.04.1998 एवं समय—समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम—174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे,

8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

11. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।

12. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

14. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

15. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान व्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा सम्बंध) भी एकत्र किया जाय।

(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्रावक्कलन पर सक्षम रतर से तकनीकी स्थीकृति प्राप्त कर लिया जाएगा।

(vi) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।

(vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

16. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) सभी यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

17. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रबंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

20. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

21. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया

जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

23. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

24. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल एवं सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा द्वारा अभी तक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित स्थल चयन समिति से अग्रिम कार्य स्थल को अनुमोदित कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है। राशि का उप आवंटन इस शर्त के की जा रही है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त समिति से स्थलों को अनुमोदित कराकर उसकी प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-08/2021- 767 दिनांक- 23/11/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, हजारीबाग/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ हजारीबाग/ पलामू/ दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/गिरिडीह/ हजारीबाग/ चतरा/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/ देवघर/ दुमका/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-08/2021- 767 दिनांक- 23/11/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ हजारीबाग/ गढ़वा/ कोडरमा/ लातेहार/ बोकारो/ धनबाद/ रामगढ़/ गिरिडीह/ हजारीबाग/ चतरा/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/लातेहार/ गोड़डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर में)	वित्तीय वर्ष 2021-22 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			37929.33	21174.95	59104.28
i	ii	iii	iv	v	vi
1	साठवाठ प्रमण्डल, देवघर	100	37.929	21.175	59.104
2	साठवाठ प्रमण्डल, हजारीबाग	100	37.929	21.175	59.104
3	साठवाठ प्रमण्डल, गढ़वा	100	37.929	21.175	59.104
4	साठवाठ प्रमण्डल, कोडरमा	100	37.929	21.175	59.104
5	बोकारो वन प्रमण्डल	100	37.929	21.175	59.104
6	धनबाद वन प्रमण्डल	150	56.894	31.762	88.656
7	रामगढ़ वन प्रमण्डल	50	18.965	10.588	29.553
8	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	50	18.965	10.588	29.553
9	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	100	37.929	21.175	59.104
10	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	100	37.929	21.175	59.104
11	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	200	75.859	42.350	118.209
12	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	100	37.929	21.175	59.104
13	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	100	37.929	21.175	59.104
14	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	100	37.929	21.175	59.104
15	लातेहार वन प्रमण्डल	50	18.965	10.587	29.552
16	देवघर वन प्रमण्डल	150	56.894	31.762	88.656
17	गोड्डा वन प्रमण्डल	150	56.894	31.762	88.656
योग :-		1800	682.726	381.149	1063.875

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अग्रिम का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 311.33 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर में)	वित्तीय वर्ष 2021-22 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			50472.82	19864.36	70337.18
i	ii	iii	iv	v	vi
1	साठवाठ प्रमण्डल, हजारीबाग	50	25.236	9.932	35.168
2	साठवाठ प्रमण्डल, गढवा	50	25.236	9.932	35.168
3	साठवाठ प्रमण्डल, कोडरमा	50	25.236	9.932	35.168
4	साठवाठ प्रमण्डल, लातेहार	50	25.236	9.932	35.168
5	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	50	25.236	9.932	35.168
6	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	50	25.236	9.932	35.168
7	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	100	50.473	19.864	70.337
8	देवघर वन प्रमण्डल	50	25.236	9.932	35.168
9	गोडडा वन प्रमण्डल	50	25.236	9.932	35.168
10	धनबाद वन प्रमण्डल	100	50.473	19.864	70.337
11	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	100	50.473	19.864	70.337
12	वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	90	45.426	17.878	63.304
योग :—		790	398.733	156.926	555.659
सकल योग :—		2590	1081.459	538.075	1619.534

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 311.33 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे०)	सामग्री (रु० मे०)	कुल व्यय (रु० मे०)	अभियुक्त
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 311.33						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हेठो	3	933.99	0.00	933.99	
2.1	सामान्य ज्ञाड़ी	हेठो	7	2179.31		2179.31	
2.2	कटबेक / कॉपसिंग, कलाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हेठो	10	3113.30		3113.30	
3	घेरान कार्य			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संयोगकर लाभ घटाकर दर)	6 चेन प्रति हेठो	12	3735.96	11782.74	15518.70	प्रति हेठो अनुमानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। रथल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, ज्ञाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी० X 0.3 मी०) ०. ०२७ क्य०मी० 1000 पीट प्रति हेठो (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हेठो	22	6849.26		6849.26	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेनेशन डेम/ कंट्रू आदि (आवश्यकता अनुसार)	हेठो	45	14009.85		14009.85	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	हेठो	10	3113.30		3113.30	
7	सामग्री (पॉलिथीन थेली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुयाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हेठो		0.00	2400.00	2400.00	30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट रु० 5/- की दर से क्रय कर दयूव में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत अतिरिक्त रुट के साथ)
8	विविध कार्य (जायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हेठो		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हेठो	12.83	3994.36	6842.21	10836.57	
	योग :-		121.83	37929.33	21174.95	59104.28	

नोट (1) अग्रिम कार्य आरम्भ करने के समय लागू दैनिक मजदूरी दर पर सात वर्षीय योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।

(2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें ज्ञाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएग इस कारण मजदूरी मद में राशि की व्यय 20% से ज्यादा या कम हो सकता है।

(3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।

(4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्प्स (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।

(5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।

(6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।

(7) ज्ञाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
ज्ञारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1666

पौधों की दूरी : (3 मीटर X 2 मीटर)

मजदूरी दर : 311.33 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2021-22 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 311.33							
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हेठो	3.00	933.99	0.00	933.99	
2	झाड़ी सफाई			0.00	0.00	0.00	
2.1	सामान्य झाड़ी	हेठो	7.00	2179.31	0.00	2179.31	
3	धेरान कार्य -			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रैच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम संख्या 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संबंधक लाभ घटाकर दर)	6 चेन प्रति हेठो	12	3735.96	11782.74	15518.70	प्रति हेठो अनुमानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। खल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि धेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हेठो (सरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हेठो	36.50	11363.55	0.00	11363.55	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हेठो	16.50	5136.95	0.00	5136.95	30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभागीय स्थानीय पौधशाला से प्रति रुट-शूट रु० 5/- की दर से क्रय कर ट्यूब में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरियत रुट के साथ)
6	सामग्री (पॉलिथीन थोली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा धेरान सामग्री आदि)			0.00	0.00	3989.00	3989.00
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कंटूर ट्रैचिंग- 90, कंटूर ट्रैच साईज 5 मीटर X 0.30 X 0.3 मीटर का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मीटर से 3मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की छोड़ाई में 0.15 मीटर गहरा कोड़नी कर रखा जाना	हेठो	55.00	17123.15	0.00	17123.15	
8	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)			0.00	0.00	150.00	150.00
9	प्रवेश बिन्दु कार्य		32.12	9999.92	3942.62	13942.54	
	योग-		162.12	50472.82	19864.36	70337.18	

नोट (1) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।

(2) खल विशिष्ट प्राककलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं धेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा।


(3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।

(4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्प्स (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।

(5) तकनीकी स्वीकृत में खल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।

(6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।

(7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वयित की जानेवाली “अधिकारित वनमूलि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष धटक योजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेक्टेकर्न) का अधिग्रहण कार्य का स्थल विवरणी।

क्रो सं	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	धनाना / धनाना नं	स्थल / प्राम का नाम	जी0पीएस0 कोड—ऑडिनेटस	प्लॉट संख्या	रक्वा (हेक्टेर में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
1	देवधर	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवधर	साठोवां प्रक्षेत्र, देवधर	देवधर	देवधर-108	सिंधजोरी	N-24° 47.49" E-86° 56.20"	36, 74, 5	50
					देवधर-1 देवधर-2	भलसुनिया लेहरोकी	N-24° 60.02" E-86° 60.86"	10, 82, 18, 254	25
					देवधर-28	पथरिया	N-24° 16.54" E-86° 35.26"	28, 62पी0, 90पी0, 93पी0, 99, 93, 94, 95, 96, 97, 38पी0	25
100									
2	हजारीबाग	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	साठोवां प्रक्षेत्र, माण्डू	कटकमसांडी	कटकमसांडी-33	हेसारकुदर	N-24° 09'17.5" E-85° 13'36.9"	1, 194, 257, 923, 242, 944, 1139, 1148, 1193, 1194, 1195	50
				बरकट्टा	बरकट्टा-15	डडेई	N-24° 16'17.56" E-85° 44'31.41"	29, 186, 148, 156, 47, 26	50
100									
3	गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	साठोवां प्रक्षेत्र, भवनाथपुर	रमना	गढ़वा-106	बनखेता	N-24° 13'51" E-85° 34'02"	35, 51, 52, 63, 65, 67, 69, 72पी0	50
				गढ़वा	गढ़वा	भवनाथपुर-13	N-24° 23'48" E-83° 29'21"	95, 97, 1421	50
100									
4	बोकारो	बोकारो वन प्रमण्डल	तेनुधाट	गोमिया	गोमिया-62	मुरपा	N-23° 44'47" E-85° 41'11"	260, 263, 275, 307, 311, 330	50
		पेटरवार	पेटरवार	पेटरवार	पेटरवार-01	गागा	N-23° 41'04" E-85° 47'26"	1096पी0, 1122पी0, 1133, 1630, 1633	50
100									
5	धनबाद	धनबाद वन प्रमण्डल	शहरी वानिकी प्रक्षेत्र, धनबाद	झरिया	झरिया-198	दुष्किया	N-23° 42'44.44" E-86° 33'36.45"	2, 130, 933, 934, 942, 977, 1298, 1303, 2188, 3312	25
			तोपचांची प्रक्षेत्र	टुंडी	टुंडी-132	टुंडी पहाड़	N-23° 57'05.57" E-86° 23'02.64"	129, 71, 118, 1/1, 3/1, 128, 249, 583/28, 553, 555	50

क्र०	लिता का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रदेश का नाम	प्रखण्ड का नाम	आना / थाना न०	स्थल / ग्राम का नाम	जी०पी०एस० कॉ०-ऑर्डिनेट्स	स्टॉट संख्या	रकवा (हें मे०)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
				टुंडी	टुंडी-104, 105, 107	मातुरसा-कठवरीया / सिदवारीटैंड / ताहरबारी	N-24° 00'18" E-86° 28'23"	202पी०, 287, 316, 02, 44, 148, 247, 281, 427, 428, 475, 476, 576, 07, 08, 61, 194, 196, 350,	35
				टुंडी प्रदेश	टुंडी-06, 16	मठियारा / देवपुर	N-24° 00'38" E-86° 21'29"	1235, 973पी०, 313, 1, 314, 410	40
						योग :-			150
6	रामगढ़	रामगढ़ वन प्रमण्डल	गोला	गोला	गोला-21, 53	कुसुमझीह / तिरला	N-23° 33'17.5" E-85° 04'55"	1, 3, 4, 5, 6, 620	25
				माण्डू	माण्डू	होन्हेमोड़ा	N-23° 46'46" E-85° 23'25"	1235, 1236, 1237, 1238, 1240, 1241, 1242	25
						योग :-			50
7	गिरिझीह	गिरिझीह चाहिचमी वन प्रमण्डल	धनवार वनरोपण	धनवार	धनवार-133, 134	बेको सह बोदनो	N-24° 18'38.05" E-85° 52'47.25"	755, 761, 875, 883, 977, 1030, 215, 627, 785, 546, 784, 679, 758, 630, 782, 633	25
				तिरिझीह वनरोपण	गिरिझीह-130	गादी	N-24° 03'04" E-86° 19'16"	2, 240	25
						योग :-			50
8	गिरिझीह	गिरिझीह पूर्वी वन प्रमण्डल	गिरिझीह	गिरिझीह-74	डिलीबाद	N-23° 23'73.20" E-86° 24'03'24"	67, 66, 79, 31, 41, 43, 37, 80	50	
				डुमरी	डुमरी-132	मध्गोपली	N-23° 57'23" E-86° 00'34"	1, 33, 88, 77, 129, 87, 102, 260, 578, 867	50
						योग :-			100
9	हजारीबाग	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	बड़कागाँव वन प्रक्षेत्र	केरेडारी	बड़कागाँव-15	जोरदारा	N-23° 53'10" E-85° 02'34"	4पी०, 622पी०	50
				बरही वनरोपण प्रक्षेत्र	बरकटठाठा-5	मनेया	N-24° 17'8.46" E-85° 40'30.21"	8, 9, 12	50
						योग :-			100

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	आना / धाना न०	स्थल / ग्राम का नाम	जी०पी०ए० कॉ—ऑर्डिनेट्स	स्लॉट संख्या	रक्कवा (हे० मे०)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
			दार	सदर	सदर—225	धवेया	N-23° 57.096' E-85° 28.110'	1, 15, 30, 370, 400, 404, 406, 407	25
				सदर	सदर—244	बडासी	N-23° 55.141' E-85° 24.809'	3, 239, 267, 366	35
			गोमिया	गोमिया—04	नरकापडी	नरकापडी	N-23° 57.094' E-85° 38.993'	461, 465, 463, 467, 483	25
10	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	बगोदर	सरिया	बगोदर—44	बड़कीसरिया	बड़कीसरिया	N-23° 9.494' E-85° 54.284'	3, 353, 4822, 4964, 4823, 4906, 4912, 4904, 4827, 4948, 4952, 4870	40
				बगोदर—125	तुकतुको	तुकतुको	N 24° 6.557' E 85° 46.590'	145, 494, 498, 501, 502, 682, 686	40
			बगोदर	बगोदर—07	मुण्डो	मुण्डो	N 24° 7.534' E 85° 45.689'	1, 2, 3, 484, 231, 2413, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542	40
				विष्णुगढ़—143	खरना	खरना	N 24° 3.385' E 85° 42.783'	15, 17, 18, 743, 744, 745, 747, 2171	35
					योग :-	योग :-			200
11	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल			कान्हाचट्टी	चतरा—47	पकरी	24° 15'23" 85° 02'24"	71	50
				कान्हाचट्टी	चतरा—52	आलगड़ा	24° 15'07" 85° 02'24"	218पौ०	
			हंटरांज	हंटरांज	हंटरांज—33	गोसाईडीहा	24° 28'81" 84° 50'09"	1पौ०, 4, 5	50
					योग :-	योग :-			100
12	गढ़वा दक्षिणी प्रमण्डल			रंका पूर्वी	रंका	तेतुडीह	N-23° 00.45'45" E-83° 82.99'99"	191, 192, 211, 2012, 213 to 216	50
				रंका पश्चिमी	रंका	बेता	N-23° 59.06'90" E-83° 36."02"79'	110P, 111(P), 112, 113, 118, 119, 121	50
					योग :-	योग :-			100

क्र०	निला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / थाना नं०	थाना / थाना नं०	थाना / ग्राम का नाम	जी०मी०ए०	प्लॉट संख्या	रक्वा (हें मे०)
सं०					v	vi	vii	viii	ix	x
i	ii	iii	iv	v						
13	लालेहार	लालेहार वन प्रमण्डल	मनिका वनरापण	मनिका	लालेहार—164	उन्ड		N-23° 48'17.41" E-84° 24'11.31"	87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 150पी०, 75पी०, 80पी०	50
योग :-										
14	देवधर प्रमण्डल	प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवधर	प्रादेशिक प्रक्षेत्र, देवधर	देवधर	देवधर—24		पांडुकूरा	N-24° 3'20.5"	170, 35	40
				मोहनपुर	देवधर—890		फुटाबांध	E-086° 56'13"		
15	गोड्डा गोड्डा वन प्रमण्डल	भू संरक्षण प्रक्षेत्र, देवधर	भू संरक्षण प्रक्षेत्र, गोड्डा	देवधर	देवधर—173		वेसारपुर	N-24° 3'12.6" E-086° 37'19"	292, 310, 294	23
				गोड्डा	गोड्डा—204		उवरा	N-24° 4'17.1" E-086° 60'15"	9, 45, 33	27
		भू संरक्षण प्रक्षेत्र, गोड्डा	भू संरक्षण प्रक्षेत्र, गोड्डा	सारठ	सारठ—551		उमडुमी	N-24° 0'17.51" E-086° 58'50"	204 / ऐपी०, 59	30
								E-086° 4'7.27"	430, 806, 810, 756	30
योग :-										
		सुन्दरपहाड़ी	सुन्दरपहाड़ी		सुन्दरपहाड़ी—19		जोगीमरना	N-24° 3'49" E-87° 22'32"	177, 354, 422	30
				गोड्डा	गोड्डा—03		जबरदाहा	N-24° 4'8'32" E-87° 28'57"	507, 98, 525, 336, 439	30
		बोआरीजोर	बोआरीजोर	पांडेयाहाट	पांडेयाहाट—38		धोबई	N-24° 50'12.1662" E-87° 22'11.028"	409, 479	40
				गोड्डा	बोआरीजोर—78		बड़ाकेरा	N-25° 0'1'44" E-87° 27'51"	123, 133, 195, 332	25
		गोड्डा	गोड्डा		सुन्दरपहाड़ी—16		विशुनपुर	N-24° 51'40.644" E-87° 23'56.76"	183, 181, 1, 9, 14, 21, 23, 31, 51, 52, 63, 80, 85, 112, 158	25
									150	
सकल योग :-										
									1600	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
शारखण्ड, रांची ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं मू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पोदा प्रति हेक्टर) का अप्रिम कार्य का अनुलेखन विवरणी ।

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	आना / आना नं०	स्थल / ग्राम का नाम	जीर्णीपीएस० को-ऑफिनेटस	प्लॉट संख्या	रक्का (हेक्टर में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
1	हजारीबाग प्रमण्डल	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग मण्डू	साठोवा० प्रक्षेत्र, पदमा	वरही—13	भंडरा	N-24° 14'42" E-85° 19'5"	1, 3, 955	50	
2	गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	साठोवा० प्रक्षेत्र, नगर	रमना	गढ़वा—123	गरदा— I	N-24° 13'26" E-83° 30'09"	2, 3, 4पौ	50
3	कोडरमा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	साठोवा० प्रक्षेत्र, चोपारण	मधुरहण्ड	मधुरहण्ड—211	बलिया	N-24° 18'17.91" E-85° 18'15.27"	604, 636पौ	25
4	लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, जलटनांज	तरहसी	मनातु—405	पंचलुधियाँ	N-24.127583 E-24.365687	147, 148, 176	50
5	हजारीबाग प्रमण्डल	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	दारु	हजारीबाग—171	दट्टी	N-24° 0.580' E-85° 25.135'	2, 4, 432,	20	
			सदर	हजारीबाग—170	शेखा	N-24° 0.718' E-85° 25.611'	2327, 2993		
			बगोदर	बगोदर—44	बड़कीसरिया	N-24° 9.401' E-85° 53.970'	4661, 4953, 4958, 4962, 810, 914, 830, 838, 855, 879, 900, 4978, 7987	30	
			सरिया				योग :-		50

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	आना / आना न०	स्थल / ग्राम का नाम	जीर्णपी०एस० को—ऑर्डिनेट्स	प्लॉट संख्या	एकवा (हे० मे०)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
6	चतरा प्रमण्डल	चतरा उत्तरी वन	हंटरगांज	हंटरगांज—14	सोनवरसा	24° 58'51" 84° 48'30'	239, 242पी०	50	
7	देवघर	देवघर वन प्रमण्डल	भू—सरक्षण प्रक्षेत्र, मधुपुर	सारठ	सारठ—505	शिमला	N-24° 09'52" E-086° 51'10"	233, 411, 258, 407, 245, 413	20
8	गोड्डा	गोड्डा वन प्रमण्डल	मुन्दरपहाड़ी	मुन्दरपहाड़ी	मुन्दरपहाड़ी—23	रामपुर	N-24° 05'44" E-086° 53'34"	668, 614, 531, 261	20
9	धनबाद	धनबाद वन प्रमण्डल	तोपचांची प्रक्षेत्र	तोपचांची	तोपचांची—136, 137, 133, 80	बालाकर / चिरलडीह / चलमंडीह / बकसपुर	N-23° 53'13.15" E-86° 13'49.15" N-23° 52'59.99" E-86° 13'47.93" N-23° 52'36.63" E-86° 13'41.11" N-23° 52'33.28" E-86° 12'57.38"	190, 137, 645,665, 770, 415, 02	30
			टुण्डी प्रक्षेत्र	टुण्डी	जाताखंडी—13	जाताखंडी	N-24° 02'12" E-86° 23'32"	01, 34, 55, 89	40
					योग :-	योग :-	योग :-	योग :-	100



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चांत्र वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-08/2021/767

दिनांक -

23-Nov-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	59188	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 03 - मजदूरी	1,397,700.00 रुपये तेरह लाख सित्तानवे हजार सौ
2	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	59189	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 03 - मजदूरी	2,395,200.00 रुपये तेहस लाख चिनवानवे हजार दो सौ
3	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	59191	HZBFWL007 VIKAS PALIWAL D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 03 - मजदूरी	6,316,500.00 रुपये तीरसठ लाख सोलह हजार पाँच सौ

योगः रुपये एक करोड एक लाख नौ हजार चार सौ
क्रमिक योगः

10,109,400.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADOL PCCF DEP JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवजन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060178958010103	59194	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदूरी	6,316,500.00 रुपये तीरसठ लाख सोलह हजार पाँच सौ
5	S 19 24060178958010103	59196	KDMFORA02 MAHALING D.F.O (S.F.) KODERM 03 - मजदूरी	6,316,500.00 रुपये तीरसठ लाख सोलह हजार पाँच सौ
6	S 19 24060178958010103	59197	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF 03 - मजदूरी	2,523,600.00 रुपये पच्चीस लाख तेहस हजार छ: सौ

योगः

रुपये दो करोड बावन लाख छाँठ हजार

15,156,600.00

क्रमिक योगः

25,266,000.00


 (NAND KISHORE SINGH)
 ADDL PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060178958010103	59199	BKRFOR001	3,792,900.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते		ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 03 - मजदूरी	रुपये सैतीस लाख बयानवे हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060178958010103	59202	DHNFOR001	10,736,700.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते		SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	रुपये एक करोड सात लाख छठीस हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060178958010103	59203	HZBFOR001	1,896,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते		DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE 03 - मजदूरी	रुपये अठारह लाख छ्यानवे हजार पंच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये चार करोड सोलह लाख बयानवे हजार एक सौ			16,426,100.00
क्रमिक योग:				41,692,100.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL - PCCE DEV. JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	59204	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 03 - मजदूरी	1,896,500.00 रुपये अठारह लाख छयानवे हजार पैसे सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	59206	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदूरी	8,840,200.00 रुपये अठयासी लाख चालीस हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	59208	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 03 - मजदूरी	3,792,900.00 रुपये तीस लाख बयानवे हजार नी सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

सौता-

रुपये पॉच करोड़ बासठ लाख इक्कीस हजार सात सौ

कल्पिक योगः

14.529.600,00

56,221,700.00

MANOJ KISHORE SINGH

APPL-PCCE-DEV-JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060178958010103	59209	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदूरी	10,109,500.00 रुपये एक करोड़ एक लाख नौ हजार पाँच सौ
14	S 19 24060178958010103	59211	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	6,316,500.00 रुपये तीरसठ लाख सोलह हजार पाँच सौ
15	S 19 24060178958010103	59213	PLMFOR070 AMARNATH PRASAD SINGH IFS D.F.O.MEDININAGAR. FOREST.DIV. 03 - मजदूरी	8,840,200.00 रुपये अठवासी लाख चालीस हजार दो सौ

योगः

रुपये आठ करोड़ चौदह लाख सित्यासी हजार नौ सौ

25,266,200.00

क्रमिक योगः

81,487,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपश्च कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060178958010103	59215	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजदूरी	3,792,900.00 रुपये सौतीस लाख बयानवे हजार नौ सौ
17	S 19 24060178958010103	59217	LTRFOR001 RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR 03 - मजदूरी	1,896,500.00 रुपये अठारह लाख छयानवे हजार चौच सौ
18	S 19 24060178958010103	59218	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 03 - मजदूरी	8,213,000.00 रुपये बयासी लाख तेरह हजार
योग: रुपये नौ करोड़ तीरपन लाख नवे हजार तीन सौ				13,902,400.00
क्रमिक योग: (NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCE DEV JHARKHAND				95,390,300.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	59219	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	8,213,000.00
20	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	59221	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB 03 - मजदूरी	4,542,600.00
21	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	59224	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	2,117,500.00
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		
Central Scheme :		NA		
State Scheme :		NA		14,873,100.00
Central Scheme :		NA		110,263,400.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060178958010323	59225	HZBFWL007 VIKAS PALIWAL D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	3,110,700.00 रुपये इक्तीस लाख दस हजार सात सौ
23	S 19 24060178958010323	59226	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	3,110,700.00 रुपये इक्तीस लाख दस हजार सात सौ
24	S 19 24060178958010323	59228	KDMFORA02 MAHALING D.F.O (S.F.) KODERM 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	3,110,700.00 रुपये इक्तीस लाख दस हजार सात सौ

योगः

रुपये रुपये रुपये रुपये रुपये रुपये

9,332,100.00

क्रमिक योगः

(NAND KISHORE SINGH)

119,595,500.00

क्रमांक	विप्रव कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060178958010323	59229	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAR	993,200.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय		रुपये नौ लाख लिंगनाथ हजार तो सौ	
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
26	S 19 24060178958010323	59231	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D.F.O. BOKARO	2,117,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय		रुपये इक्कीस लाख स त्र ह हजार चौंच सौ	
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
27	S 19 24060178958010323	59232	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	5,162,600.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय		रुपये इकावन लाख बासठ हजार छ: सौ	
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये बारह करोड अठहत्तर लाख अडसठ हजार आठ सौ			8,273,300.00
क्रमिक योग:				127,868,800.00
			(NAND KISHORE SINGH)	
			ADDL PCCE DEV JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	59234	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	1,058,800.00 रुपये दस लाख अठावन हजार आठ सौ
29	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	59235	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	1,058,800.00 रुपये दस लाख अठावन हजार आठ सौ
30	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	59236	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	4,103,900.00 रुपये इकतालीस लाख तीन हजार सौ सौ
<p>योग: 6,221,500.00 (NAND KISHORE SINGH) ADDI PCCE DEV JHARKHAND</p> <p>क्रमिक योग: 134,090,300.00</p>				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060178958010323	59237	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB रुपये इकलौते लाख स ब छ हजार सौ	2,117,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
32	S 19 24060178958010323	59238	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST रुपये बावन लाख अठाहस हजार दो सौ	5,228,200.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
33	S 19 24060178958010323	59239	CTRFOR002 R. THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA रुपये इकलौते लाख दस हजार सात सौ	3,110,700.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगः

रुपये चौदह करोड ऐतालीस लाख छयालीस हजार सात सौ

10,456,400.00

क्रमिक योगः

144,546,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADD1- PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060178958010323	59240	PLMFOR070	4,103,900.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय		AMARNATH PRASAD SINGH IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	रुपये इकतालीस लाख तीन हजार नौ सौ
			23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
35	S 19 24060178958010323	59241	GRHFWL004	2,117,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय		SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	रुपये इक्कोस लाख स त्रह हजार पंच सौ
			23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
36	S 19 24060178958010323	59242	LTRFOR001	1,058,700.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय		RAUSHAN KUMAR DFO FOREST DIV LATEHAR	रुपये दस लाख अठावन हजार सात सौ
			23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये पंद्रह करोड़ अठारह लाख छब्बीस हजार आठ सौ			7,280,100.00
क्रमिक योग:				151,826,800.00
			(NAND KISHORE SINGH)	
			ADDL. PCCE DEV. JHARKHAND	
		59,97,147.54	RANCH	
				Run Date: 23/11/2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
37	S 19 24060178958010323	59243	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	4,169,400.00 रुपये इकालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
38	S 19 24060178958010323	59244	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION	4,169,400.00 रुपये इकालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
39	S 19 24060178958010323	59245	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE.HZB	1,787,800.00 रुपये स त्र ह लाख सित्यासी हजार आठ सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये सोलह करोड उन्नीस लाख तीरंगन हजार चार सौ

10,126,600.00

क्रमिक योग:

161,953,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCE/DEV JHARKHAND

11/07/2021

RANCH